(2)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज हनुमानसिंह बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 23/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हनुमानसिंह पुत्र आईदानसिंह, पता विश्वकर्मा नगर, सर्वोदय पब्लिक स्कूल प्लॉट नं. 16, भदवासीया जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.01.18 में उसके द्वारा (1) अनवान हनुमानराम बनाम मांगीलाल संख्या 202/1985 निर्णय दिनांक 9.4.1990 की निर्णय एवं डिक्री सहित सम्पूर्ण पत्रावली की नकल , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थीपक्ष ने अपील में बतलाया कि उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ने कोई सूचना नहीं दी, न कोई जबाब दिया गया तथा सूचना नहीं देने का कोई संतोषप्रद कारण भी नहीं बतलाया गया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) से जरिये पत्रांक 127 दिनांक 23.02.18 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया कि कार्यालय के पत्रांक 88–89 दिनांक 08.02.2018 के जरिये अपीलार्थी को सूचित कर लिखा गया कि आपका प्रार्थना–पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत मूल ही जिला अभिलेखागार कलेक्ट्रेट जोधपुर को स्थानान्तरण कर दिया गया है तथा चाही गई सूचना वहां से प्राप्त करें। उपखण्ड अधिकारी जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र कब स्थानान्तरित किया गया, स्पष्ट नहीं किया गया। ऐसा प्रकट होता है कि अपील दायर होने के पश्चात् प्रार्थना–पत्र स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की हो, अतः नियत अवधि में प्रार्थना–पत्र का निस्तारण नहीं करना, न प्रार्थी को किसी प्रकार से सूचित करना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का आत्मसात् करने का फल है, जो खेदजनक है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना–पत्रो का निस्तारण विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नियत अवधि मे करें। प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार कार्यालय हाजा को भी निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।